प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र.।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–5/439/2022–RGSA/01/2018 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2022

विषय : ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण व इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–5/398/2022–आर.जी.एस.ए./01/2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 के सम्बन्ध में यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक माह 15–15 दिवस में सूचना ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 12.10.2022 को निदेशालय स्तर पर आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में बैंक खाता तथा बैंक से वालेट लिंक सम्बन्धी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु स्पष्ट करना है :–

1. पृथक से खोले जाने वाला खाता–"**पंचायत ओ.एस.आर.**" खाते के नाम से जाना जायेगा। यथासम्भव पंचायत ओ.एस.आर. खाता उसी बैंक में खोला जाए, जिस बैंक में ग्राम पंचायत के ग्राम निधि का खाता पूर्व से संचालित है तथा ग्राम पंचायत में स्थित बी0सी0 सखी के माध्यम से ही धनराशि जमा किये जाने की सुविधा प्राप्त हो।
2. पृथक से खाले जाने वाले खाते में बैंक द्वारा निम्न सुविधा दिया जाना होगा :–
   (क) इण्टरनेट/मोबाइल बैंकिंग
   (ख) डेबिट कार्ड
   (ग) यूपीआई आई0डी0
   (घ) क्यू0आर0 कोड
3. जिला सेवा प्रादाता (डी.एस.पी.) द्वारा पंचायत सहायक हेतु एक वॉलेट आवंटित किया जायेगा, जिसके माध्यम से सेवा के सापेक्ष वॉलेट में उपलब्ध धनराशि से सेवा शुल्क का ट्राक्जेंशन होगा। उक्त वॉलेट को ओ.एस.आर. खाते से लिंक भी किया जाना होगा।
4. पृथक से खोले गये खाते के संचालन सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा, परन्तु एक सचिव के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्यभार तथा तकनीकी कारणों से मात्र वॉलेट रिचार्ज का कार्य केवल ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा, जिसमें एक ही खातेदार का नम्बर लिंक हो सकने के कारण ग्राम प्रधान के मोबाइल नम्बर को अनिवार्य रूप से लिंक किया जायेगा। उक्त खाते की कैशबुक का अंकन तथा माह के अन्त में खाता, दैनिक कार्यवाही रजिस्टर एवं कैशबुक में समायोजन/अंकित करने का उत्तरदायित्व पंचायत सचिव का होगा।
5. ओ.एस.आर. खाते से पंचायत सहायक/वी.एल.ई. के लिंक वालेट में प्रथमवार रू0 1000/– हस्तान्तरित किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए की वालेट में यथासम्भव न्यूनतम 1000/– की धनराशि उपलब्ध रहें।
6. ओ.एस.आर. खाते से वालेट में धनराशि हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी–
   (क) वी.एल.ई. के वॉलेट में बैंक द्वारा दिये गये किसी एक सुविधा यथा–इण्टरनेट/मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड एवं यूपीआई आई0डी से रिचार्ज किया जाना होगा।

(ख) ओ0एस0आर0 खाते में ग्राम प्रधान के लिंक मोबाइल नम्बर पर बैंक द्वारा ट्रान्जेक्शन हेतु ओ.टी.पी. प्राप्त होगा, जिसे सत्यापित करने पर धनराशि रिचार्ज हो सकेगी।

7. प्रत्येक सेवा के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रू. 1000/- में से रू0 30/- वी.एल.ई. के वॉलेट से डी.एस.पी. के मास्टर वालेट में हस्तान्तरित हो जायेगा।
8. सेवा शुल्क रू. 30/- में से रू. 14.5-15/- (जी.एस.टी. सहित) ग्राम पंचायत को प्राप्त होगें, जिसमें से रू0 9.50-10/- (जी.एस.टी. सहित) ग्राम पंचायत अंश के रूप में एवं रू0 5/- पंचायत सहायक को प्रोत्साहन राशि के रूप में पंचायत सहायक के खाते में माह के अन्त में एक बार हस्तान्तरित किया जायेगा।
9. जनसामान्य से सेवा शुल्क नगद अथवा क्यू0आर0 कोड स्कैन करके पंचायत ओ.एस.आर. खाते में प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत भवन में क्यू0आर0 कोड डिस्पले की व्यवस्था की जाये।
10. वी.एल.ई./पंचायत सहायक द्वारा जनसामान्य से प्राप्त नकद सेवा शुल्क अगले दिन ओ. एस.आर. खाते में जमा कराया जाना होगा तथा वी0एल0ई0 (पंचायत सहायक) द्वारा दी गयी सेवाओं के सापेक्ष दैनिक कार्यवाही रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें सेवा का विवरण, उसके सापेक्ष प्राप्त धनराशि एवं उसके मोड (कैश/डिजिटल) का अंकन पंचायत सहायक द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र।

संख्याः 5/439/1/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01– अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
02– अपर मुख्य सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ०प्र० शासन।
03– राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई– गर्वोनेन्स, उ०प्र०।
04– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
05– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
06– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
07– समस्त जिला सेवा प्रदाता (डी.एस.पी.) उ०प्र०।

4/11/22

(अनुज कुमार झा)
निदेशक,
पंचायती राज, उ.प्र।